भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. +*114

सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

सस्ते होटल

+*114. श्री विनायक भाऊराव राऊतः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विदेशी और घरेलू पर्यटकों के बड़ी संख्या में आने के कारण देश में होटलों और विशेषकर सस्ते होटलों में कमरों की भारी कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का नए सस्ते होटल खोलने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ-राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पर्यटन केंद्रों/सस्ते होटलों के खोलने के लिए राज्य/संघ-राज्यक्षेत्र-वार सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने सस्ते होटलों की संख्या बढ़ाने हेतु राज्य सरकारों को पर्यटन अनुकूल नीतियों का अनुसरण करने के लिए कहा है और यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार सस्ते होटलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन भी दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने सस्ते होटलों की कमियों को दूर करने के लिए उनकी कार्यप्रणाली की कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ड.) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

****

सस्ते होटल के संबंध में दिनांक 25.11.2019 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. +*114 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में विवरण

(क): तत्कालीन योजना आयोग द्वारा तैयार की गई बारहवीं पंचवर्षीय योजना (**2012-17)** हेतु "पर्यटन संबंधी कार्यकारी" समूह की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटक आगमन में **12%** की अनुमानित वार्षिक वृद्धि के लिए वर्ष **2010** की तुलना में **2016** में अतिरिक्त होटल के कमरों की अनुमानित आवश्यकता लगभग 2 लाख थी । देश में पर्यटकों के लिए होटल के कमरों की कमी के संबंध में पर्यटन मंत्रालय द्वारा कोई आकलन नहीं किया गया है।

(ख): होटलों का निर्माण एवं प्रचालन मुख्य रूप से निजी क्षेत्र का कार्यकलाप है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार केवल होटलों के वर्गीकरण/अनुमोदन की अपनी स्वैच्छिक योजना के अंतर्गत होटलों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं एवं सेवाओं के आधार पर प्रचालनरत होटलों के वर्गीकरण का कार्य करता है।

पर्यटन केंद्रों का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है तथापि पर्यटन मंत्रालय अपनी योजनाओं जैसे कि तीर्थ स्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) और स्वदेश दर्शन के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

(ग): पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक **9** जनवरी, **2018** के अपने पत्र द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से होटलों के विकास के लिए भूमि के निर्धारण/नीलामी के समय मध्यम वर्ग के होटलों जो विशेष रूप से **3** सितारा और 4 सितारा श्रेणी में आते हैं, के विकास को समुचित महत्व दिए जाने का अनुरोध किया है।

बजट पर्यटकों के लिए होटल आवास की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए अतिथि गृहों, अतुल्य भारत बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों और अतुल्य भारत होमस्टे प्रतिष्ठानों के अनुमोदन के लिए मंत्रालय की स्वैच्छिक योजना है।

परियोजना के चरण तथा श्रेणीकरण के चरण में होटलों के अनुमोदन संबंधी पर्यटन मंत्रालय की स्वैच्छिक योजना में यह विनिर्धारित किया गया है कि केन्द्र/राज्य सरकार से सब्सिडी/कर लाभ/अन्य लाभ लेने वाले 1, 2, 3 तथा 4 सितारा श्रेणी के होटल 8 वर्ष की अवरुद्धता अवधि के अधीन होंगे जिस दौरान वे उच्चतर श्रेणी में उन्नयन की मांग नहीं करेंगे ताकि ऐसे होटल बजट श्रेणी के होटल बने रहें।

(घ): वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने दिनांक **17** अक्टूबर**, 2017** को देश में होटल के कमरों की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए अवसंरचना उप क्षेत्रों की एक समन्वित मास्टर सूची अधिसूचित की थी जिसमें दस लाख अथवा उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों के बाहर अवस्थित तीन सितारा अथवा उससे उच्चतर श्रेणी के वर्गीकृत होटल शामिल हैं।

(ड): जी नहीं ।

****